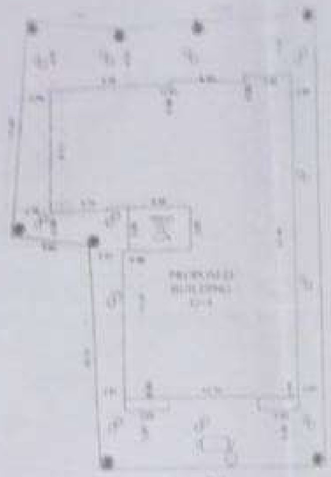

9.14 M WIDE ROAD

SITE PLAN

(SCALE 1:200)

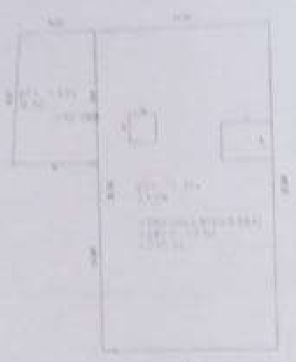

parking calculation

TOTAL PARKING AREA
[illegible]

LOCATION PLAN (N.T.S.)

KEY-PLAN

PARKING CALCULATION

TOTAL ALL FLOOR BUILDING [illegible]
REQUIRED CAR PARKING AREA
[illegible]
GROUND FLOOR PARKING AREA [illegible]
TOTAL PROVIDE CAR PARKING AREA [illegible]

WATER TANK CALCULATION

TOTAL NO. OF FLAT [illegible]
ONE FLAT 5 PERSON
TOTAL NO OF PERSON [illegible]
ONE PERSON REQU. WATER [illegible]
TOTAL REQU. WATER [illegible]
TOTAL REQU. AREA OF WATER TANK [illegible]
PROVIDE AREA OF WATER TANK
SIZE [illegible]
TOTAL PROVIDE WATER TANK [illegible]

SEPTIC TANK CALCULATION

TOTAL NO OF FLAT [illegible]
ONE FLAT 5 PERSON
TOTAL NO OF PERSON [illegible]
ONE PERSON REQU. AREA [illegible]
TOTAL REQU. AREA [illegible]
PROVIDE AREA OF SEPTIC TANK
SIZE [illegible]
TOTAL AREA OF SEPTIC TANK [illegible]

SPECIFICATION

[illegible]

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

[illegible]

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA OF THE LAND = [illegible]
[illegible]

PLOT DETAILS

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF
1. SMT. PUSPA KUMARI
W/O SRI BIPIN KUMAR SINGH
2. SRI BIPIN KUMAR SINGH
S/O DHARAMDEV SINGH
MAUZA MAINPURA, PARGANA PHULWARI
THANA DANAPUR TAUZI NO 5254 THANA NO 24
KHATA NO 184 PLOT NO 4/3
DISTT PATNA

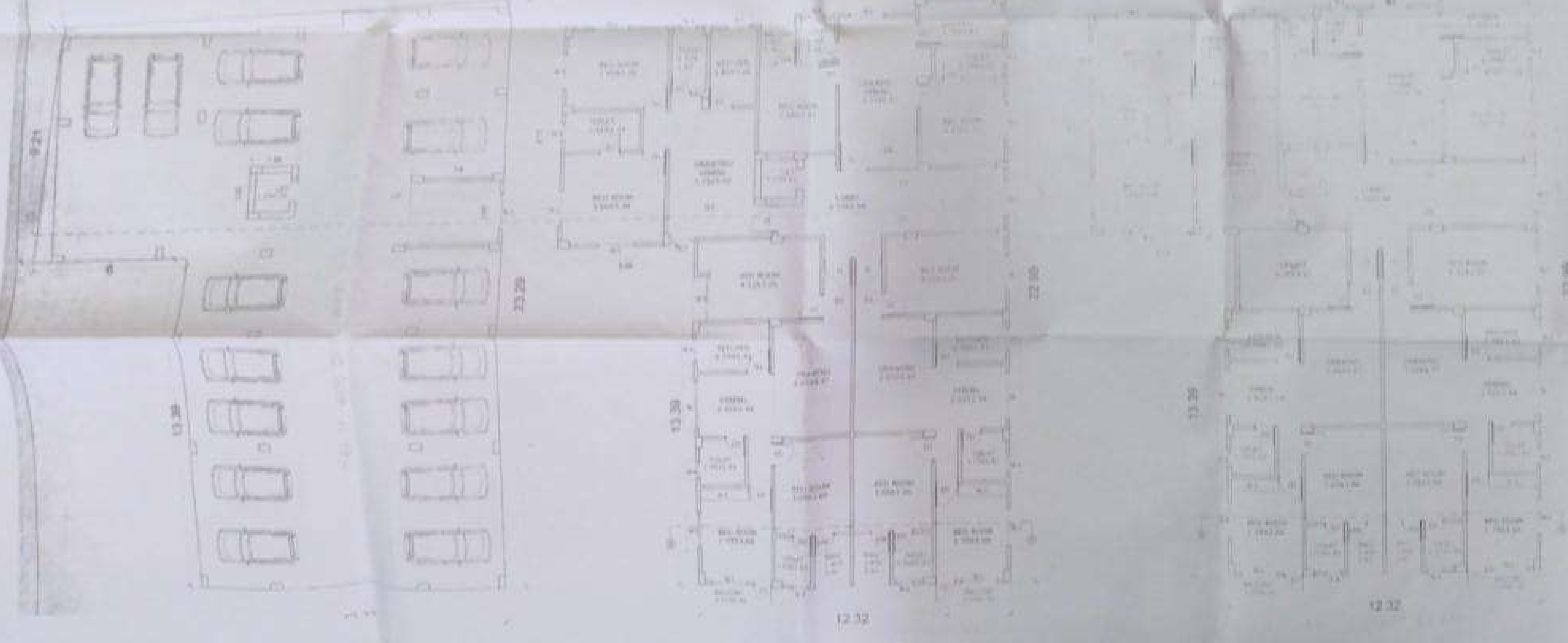

01

Bhupesh Kumar Sinha

60/14.10

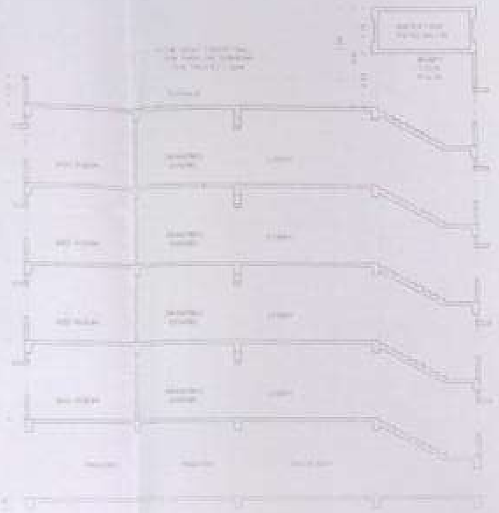

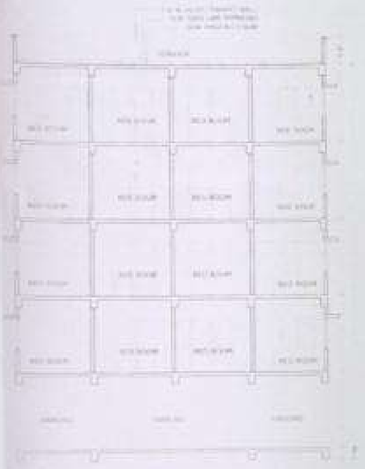

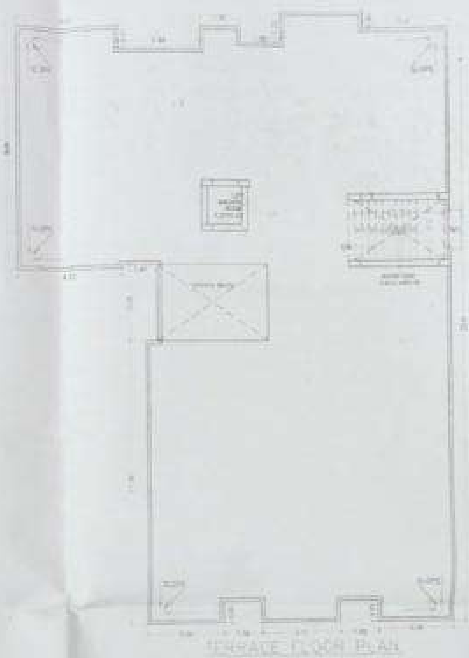
TERRACE FLOOR PLAN

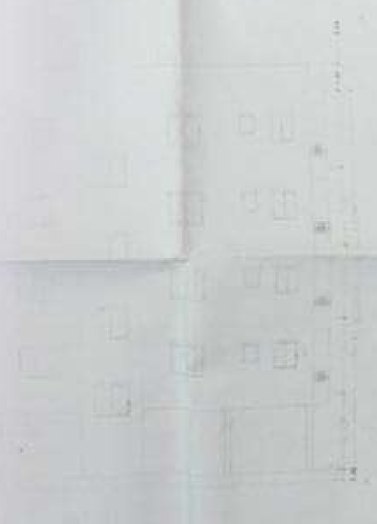

PLOT DETAILS .

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF
1.)SMT SUNITA KUMARI
W/O SRI BIPIN KUMAR SINGH
2.) SRI BIPIN KUMAR SINGH
S/O DHARAMDEV SINGH
MAUZA-MAINPURA, PARGANA-PHULWARI
THANA- DANAPUR TAUZI NO-5234 THANA NO-24
KHATA NO-184 PLOT NO-416
DISTT-PATNA

SCALE
1:100
1:200

① सुनीता कुमारी

2. Bipin Kumar Singh

SIGN. OF OWNER	SIGN OF ARCHITECT

Brajesh Kumar Sinha

A.E.
Nagar Panchayat [illegible]

Building Permit 60/19-20

[illegible]

A.E.
Nagar Panchayat [illegible]

फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- **59** तिथि- **18.06.2019** के संदर्भ में

श्रीमती सुनीता कुमारी, पति-श्री बिपीन कुमार सिंह एवं श्री विपीन कुमार सिंह, पिता-श्री धर्मदेव सिंह, पता-मुस्तफापुर, थाना-खगौल, जिला-पटना।

[✓ (क) आवासीय भवन के निर्माण]

~~(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण~~

~~(ग) भवन के पुनःनिर्माण~~

~~(घ) विद्यमान भवन में परिर्वतन या परिवर्धन~~

~~(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन~~

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के ...59... **प्लौट नं0- 418, खाता नं0- 184, तौजी नं0-5234, थाना नं0-24, मौजा- मैनपुरा शंकर, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना** के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-......60...../19-20 है, जिसका **निर्माण क्षेत्रफल** 1289.62 वर्ग **मीटर** एवं **G+4** की स्वीकृति दी जाती हैः-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **322.616** वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **24.39 मी0** चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में **0.0 वर्ग मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रूटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules),2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ) **अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017** के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(ण) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(त) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

ह0/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- .....60...../दिनांकः- 25/08/2019

प्रतिलिपिः- श्रीमती सुनीता कुमारी, पति-श्री बिपीन कुमार सिंह एवं विपीन कुमार सिंह, पिता-श्री धर्मदेव सिंह, पता-मुस्तफापुर, थाना-खगौल, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/19

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत